

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 26/08/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग शीर्ष	संख्या/मुख्य	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच		327.960

कुल आवंटित राशि — रूपये तीन करोड़ सताईस लाख छियानवे हजार मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरांत संशोधित बजट उपबंध रु. 9994.57 लाख (निन्यानवे करोड़ चौरानवे लाख सन्तावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संय सचिव (अभि०)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2023 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 105

रॉची, दिनांक :- 26/08/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/लोहरदगा/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सराय केला/ देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 105

रॉची, दिनांक :- 26/08/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल-2, रॉची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जलसंवि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(हरेंद्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संय सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

भाग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-सू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉब

पत्रांक 105 दिनांक 21/08/23 का अनुमनक

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2022-2023		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02- यात्रा		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04- मोटरगाडियो इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07- विविध प्रकार		कुल योग	अभियुक्ति
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	देन	15.11.2000 के पूर्व का वकया देनवादि	एस2702020050 1000101	एस2702020050 1000112	एस2702020050 1000213	एस2702020050 1000315	एस270202005 01000316	एस270202005 501000323	एस27020200 0501000329	एस27020200 501000333	एस270202005 01000334	एस270202005 01000337	एस270202005 01000442	एस270202005 01000760			
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका		48.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.900	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.200	0.000	0.800	0.000	50.400	
			0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	
		कुल आवंटन	48.000	0.000	0.300	0.000	0.400	0.900	0.000	0.300	0.000	0.200	0.000	0.000	0.800	0.000	50.500		
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची		180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	0.300	0.000	0.400	0.000	0.400	0.000	1.600	0.250	184.250	
			40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.800	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	43.400	
		कुल आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.400	0.400	0.900	0.000	0.300	2.800	0.400	0.000	1.000	1.600	0.250	227.650		
3	योजना मॉनेटरिंग एवं आयोजन अधिकारी-3, राँची		50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.700	0.000	51.250		
			46.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	47.400		
		कुल आवंटन	96.000	0.000	0.000	0.400	0.900	0.900	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.200	0.000	98.650		
4	लघु सिंचाई अधिकारी-चार्जधार		39.630	0.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	41.480		
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.600		
		कुल आवंटन	39.630	0.000	0.000	0.300	0.600	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.200	1.000	0.000	42.080		
5	लघु सिंचाई अधिकारी-दुमका		120.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.500	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	1.000	0.200	122.450		
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	17.050		
		कुल आवंटन	120.000	0.000	0.200	0.300	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	1.600	0.200	140.000		
6	लघु सिंचाई अधिकारी-देवघर		16.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.400	0.000	25.600		
			24.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	42.650		
		कुल आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	81.050		
7	लघु सिंचाई अधिकारी-मोदिनीनगर		80.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.400	0.050	81.800		
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	111.850		
		कुल आवंटन	80.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.050	81.800		
8	लघु सिंचाई अधिकारी-राँची		110.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	113.880		
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.030	0.000	0.000	0.000	0.600	0.150	103.582		
		कुल आवंटन	110.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.150	103.582		
9	लघु सिंचाई अधिकारी-हजारीबाग		101.432	0.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.150	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.150	103.582		
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.400	0.300	1.070		
		कुल आवंटन	101.432	0.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.470	0.200	0.000	0.150	0.000	0.050	1.000	0.450	104.652		

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

Henry

2017

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

13

(प्रश्नांत कुभार)
सचिव

105
36/08/22

वित्तीय वर्ष 2022-2023		वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं मत्त				वित्तुत शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय				वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				वित्तुत शीर्ष-04-मोटरगाडिया इंधन एवं मरम्मत		वित्तुत शीर्ष-07-शिक्ष प्रसार		राशि लाख रुपये में
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2020 के पूर्व का वकया वेतनदर	एलवडीसीओ	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक सेवार्थ	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडिया इंधन एवं मरम्मत	शिक्ष प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति		
19	लघु सिवार्ड प्रमंडल-जमशेदपुर	विपन कोड 50S2702020050 1000101	50S2702020050 10110	50S2702020050 1000112	50S2702020050 1000213	50S2702020050 1000315	50S270202005 01000316	50S27020200 501000323	50S27020200 0501000329	50S27020200 501000333	50S270202005 01000334	50S270202005 01000337	50S270202005 01000442	50S270202005 01000760	301.750			
	पूर्व का आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.600	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	301.750			
	अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	30.800			
	कुल आवंटन	330.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.900	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.800	0.100	332.550			
20	लघु सिवार्ड प्रमंडल-जामताड़ा	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.500	1.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.300	252.600			
	अतिरिक्त आवंटन	250.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600			
	कुल आवंटन	250.000	0.000	0.000	0.800	0.500	1.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.300	253.200			
21	लघु सिवार्ड प्रमंडल-धनबाद	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.250	191.550			
	अतिरिक्त आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.100			
	कुल आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.250	193.650			
22	लघु सिवार्ड प्रमंडल-पाकुड़	पूर्व का आवंटन 160.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	160.750			
	अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	30.500			
	कुल आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.100	191.250			
23	लघु सिवार्ड प्रमंडल-बोकारो	पूर्व का आवंटन 220.000	0.000	0.000	0.100	0.450	2.136	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	223.286			
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.100			
	कुल आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.100	0.450	2.136	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	225.386			
24	लघु सिवार्ड प्रमंडल, मैदिनीनगर	पूर्व का आवंटन 180.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	181.350			
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000			
	कुल आवंटन	180.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	183.350			
25	लघु सिवार्ड प्रमंडल-रामगढ़	पूर्व का आवंटन 200.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	200.850			
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	3.900			
	कुल आवंटन	200.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	204.750			
26	लघु सिवार्ड प्रमंडल-रांची	पूर्व का आवंटन 425.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	1.000	0.100	426.850			
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.10000			
	कुल आवंटन	425.000	0.000	0.000	0.200	0.45000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	1.000	0.100	428.950			
27	लघु सिवार्ड प्रमंडल-लाहौर	पूर्व का आवंटन 120.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	121.650			
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.200	0.000	0.500			
	कुल आवंटन	120.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.700	0.000	122.150			





(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं मर्यादा		विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-विशिष्ट प्रभार		
	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलपीडीसी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यावसायिक सेवाएँ	दूरभाष	बर्दी	विरुद्ध व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
28	लघु सिंचाई प्रमंडल-लोहरदगा	120.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.100	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	121.350	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.200	
29	लघु सिंचाई प्रमंडल-साहेबगंज	250.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	250.850	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.830	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.830	
30	लघु सिंचाई प्रमंडल-हजारीबाग	170.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	171.350	
	अतिरिक्त आवंटन	78.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	78.450	
31	लघु सिंचाई कृपाकण प्रमंडल-डुमका, शिविर देवर	220.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	221.750	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.050	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	1.850	
32	लघु सिंचाई कृपाकण प्रमंडल, राँची	190.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	191.300	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.250	0.540	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.500	0.600	0.100	2.090	
33	निदेशक , नृगर्भ जल निदेशालय, राँची	60.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.500	0.000	60.900	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.800	
34	नृगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल-राँची	120.000	0.000	0.000	0.000	0.650	0.000	0.200	0.000	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	121.750	
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.000	0.700	
	कुल आवंटन	120.000	0.000	0.000	0.000	0.65000	0.000	0.200	0.000	0.100	0.000	0.500	1.000	0.000	122.450	
	अतिरिक्त आवंटन का योग	280.000	0.000	1.150	6.120	2.250	2.620	0.500	21.370	0.400	0.000	6.250	6.450	0.850	327.960	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रु. तीन करोड़ सताईस लाख छियानवे हजार मात्र।

नोट :- व्यावसायिक मद में राशि का आवंटन आवंटनसोर्स द्वारा विभागीय निदेश के आलेक में रखे गये कम्प्यूटर ऑफिसर के भुगतान के लिए है। इस राशि का व्यय अन्य मदों में नहीं किया जाय।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

105
26/08/22